

अनुदान संख्या 20 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 20-DEFENCE PENSIONS

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	Charged-	25,00	18,66 -6,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original 15563,75,00		
पूरक	Supplementary 4669,20,00		
		20232,95,00	20233,08,33 +13,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि अक्तूबर, 2008 और दिसंबर, 2008 में 466920.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 13.33 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 13,32,985 रु. था)। इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर नियमित कराए जाने की आवश्यकता होती है।

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुई:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the grant, although supplementary grants of Rs.466920.00 lakhs was obtained in October, 2008 and December, 2008 the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.13.33 lakhs (actual excess was Rs.13,32,985). **The excess requires regularization by Voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"		
पेंशन तथा अन्य	Pensions and other		
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits		
मू.	O.	1556375.00	
पू.	S.	466920.00	
		2023295.00	2023308.33 +13.33

(I) "रक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "सेना - छुट्टी नकदीकरण" - 5999.75 लाख रु. का अधिक व्यय (12821.65 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 51424.37 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "नौसेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 462.60 लाख रु. का अधिक व्यय (13834.72 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 59241.63 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने और मंहगाई भत्ते की ऊंची दर होने के कारण हुआ।

(गा) "वायु सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 1220.24 लाख रु. का अधिक व्यय (26822.72 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 126347.11 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अधीन पेंशन को ऊंची दरों पर संशोधित किए जाने और पेंशन की बकाया राशियों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) "रक्षा" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "नौसेना - छुट्टी नकदीकरण" - 4884.23 लाख रु. के मूल प्रावधान को 172.88 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5057.11 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 463.47 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(खा) "वायु सेना - छुट्टी नकदीकरण" - 6483.97 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1192.47 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7676.44 लाख रु. कर दिया गया, तथापि,

(I) Under "Defence" – excess occurred under the following heads:-

(A) "Army - Leave Encashment" – excess of Rs.5999.75 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.51424.37 lakhs including supplementary grant of Rs.12821.65 lakhs); and

(B) "Navy – Pension and Other Retirement Benefits" - excess of Rs.462.60 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.59241.63 lakhs including supplementary grant of Rs.13834.72 lakhs).

Excess under the above two heads was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and higher rate of dearness relief.

(C) "Air Force – Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.1220.24 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.126347.11 lakhs including supplementary grant of Rs.26822.72 lakhs) was due to revision of pension under 6th Central Pay Commission at higher rates and payment of arrears of pension.

2. The above excess was partly offset by savings under the following heads:-

(I) Supplementary grant obtained under "Defence" remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Navy - Leave Encashment" – the original provision of Rs.4884.23 lakhs was augmented to Rs.5057.11 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.172.88 lakhs. However, there was a saving of Rs.463.47 lakhs (including supplementary grant) - due to less number of retirees.

(B) "Air Force – Leave Encashment" – the original provision of Rs.6483.97 lakhs was augmented to Rs.7676.44 lakhs by obtaining

1236.32 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर कम मामलों को संशोधित किए जाने, पदोन्नति के कारण पीबीओआर के निर्वहन को रद्द किए जाने और वायु सेना कार्मिकों के खाते में शेष अर्जित अवकाश की संख्या कम होने के कारण हुई।

(II) “रक्षा - सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” के अंतर्गत 1360867.78 लाख रु. के मूल प्रावधान को 412075.56 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1772943.34 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण 5968.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of Rs.1192.47 lakhs. However, there was a saving of Rs.1236.32 lakhs (including supplementary grant) - due to revision of less cases on implementation of 6th Central Pay Commission Report, cancellation of discharge of PBOR due to promotion and less number of earned leave balances at the credit of Air Force personnel.

(II) Under “Defence - Army - Pension and other Retirement Benefits” – the original provision of Rs.1360867.78 lakhs was augmented to Rs.1772943.34 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.412075.56 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5968.66 lakhs - due to less number of retirees.